

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।



दिनांक— 26/03/2024

विषय— श्री गौरव राणा द्वारा गया जिलान्तर्गत महुआरी मौजा के खाता संख्या-23, खेसरा संख्या-222, 223, थाना संख्या-24, थाना-महकार में गया-दनियावां (SH-4) पथ के किनारे HPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.01425 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग— आपका पत्रांक 718, दिनांक 12.10.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि विषयान्तर्गत प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक FP/BR/Approach/140669/2021/1421, दिनांक 13.09.2023 द्वारा दो भागों में (A में 1-6 शर्त एवं B में 1-9 शर्त) सैद्धांतिक स्वीकृति दी गयी है। उक्त का अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत् समर्पित कर रहा हूँ—

भाग-A: Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department.

1. हरितावरण को बनाये रखने हेतु 100 वृक्षों के रोपण की 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि रु. 8,74,538.00 को मेरे द्वारा बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA A/c No. 15062199140669010, Union Bank of India, Bengaluru में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 14.03.2024 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.- PUNBR52024031440219274 है, जो Ministry website पर प्रदर्शित है। (मूलप्रति संलग्न)।
2. NPV के मद में मेरे द्वारा द्वारा 0.01425 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रु० 9,57,780/- प्रति हे० की दर से कुल रु० 13,648/- को बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA A/c No. 15062199140669010, Union Bank of India, Bengaluru में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 14.03.2024 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.- PUNBR52024031440219274 है, जो Ministry website पर प्रदर्शित है। (मूलप्रति संलग्न)।
3. मेरे द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण एवं NPV की राशि को e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर Union Bank of India, Bengaluru के खाता में दिनांक 14.03.2024 को जमा करा दी गयी है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।
4. जिला पदाधिकारी, गया द्वारा निर्गत FRA-2006 प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
5. मेरे द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।
6. मेरे द्वारा सभी शर्तों का Compliance report, Ministry ds Website- <http://parivesh.nic.in> पर अपलोड कर दिया गया है।

39

भाग-B: Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage - II approval:

1. अपयोजित होने वाली वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करूंगा।
2. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
3. मेरे द्वारा वचनबद्धता दी गयी है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होता है तो, उसका भुगतान करेंगे।
4. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- a. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- b. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- c. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- d. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
5. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
6. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
7. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
8. (a) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- (b) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- (c) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
9. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

इस प्रकार मेरे द्वारा सभी शर्तों का अनुपालन कर दिया गया है। अतः अनुरोध है कि मेरे द्वारा समर्पित परियोजना पर अन्तिम स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त

विश्वासभाजन

Gaurav Rana

गौरव राणा,

पिता-श्री बिलाश यादव,
2 योगिया, सिमरा सिरीपुर, खिजरसराय,
जिला-गया, पिन-824233

AGENCY COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 11-03-2024

Agency Name.	GAURAV RANA
Application No.	199140669010
MoEF/SG File No.	FP/BR/OTHERS/140669/2021
Location.	BIHAR
Address.	2 Yogiya, Simra Siripur, Khizarsarai Gaya
Amount(in Rs)	888186/-

Amount in Words : Eight Lakh Eighty-Eight Thousand One Hundred and Eighty-Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	BIHAR CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	15062199140669010 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 11-03-2024

Agency Name.	GAURAV RANA
Application No.	199140669010
MoEF/SG File No.	FP/BR/OTHERS/140669/2021
Location.	BIHAR
Address:	2 Yogiya, Simra Siripur, Khizarsarai Gaya
Amount(in Rs)	888186/-

Amount in Words : Eight Lakh Eighty-Eight Thousand One Hundred and Eighty-Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	BIHAR CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	15062199140669010 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

UTR.NO. :- PUNBR52024031440219274

000004021119



माधु कुमारे

35

कार्यालय, जिला पदाधिकारी, गया के तहत रैखिक परियोजना निर्माण
हेतु FRA, 2006 का प्रमाण पत्र

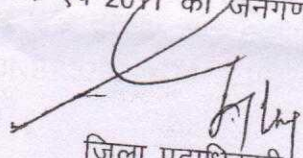
(भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नई दिल्ली द्वारा दिनांक
28.10.2014 को निर्गत दिशा निर्देश के तहत)

संख्या1456..... दिनांक18/03/2024.....

वन प्रमण्डल पदाधिकारी का पत्र सं० 2366 दिनांक 02.06.2023 द्वारा गया जिला अन्तर्गत अंचल- खिजरसराय में मौजा- महुआरी के खाता संख्या- 33, खेसरा नं०- 222, 223, थाना सं०- 24, थाना- महकार, जिला- गया में गया-दनियावां (SH-4) के पथ के किनारे HPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु 0.01425 हे० वन भूमि अपयोजन (Diversion) के क्रम में अनुशंसा किया गया है।

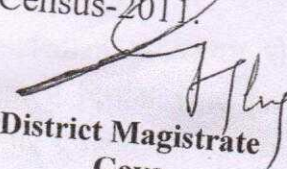
अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर गया का पत्र सं० 2148/भू०सु० दिनांक 18.02.2024 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उपर्युक्त वर्णित परियोजना क्षेत्र में अंचल- खिजरसराय में मौजा- महुआरी, थाना सं०- 24, थाना- महकार के खाता सं०- 33 खेसरा संख्या 222, 223 जिला गया में गया - दनियावां (SH-4) किनारे HPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु 0.01425 हे० वन भूमि पर वर्ष 2001 एवं 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति नहीं है।

प्राप्त अनुशंसा एवं जाँच प्रतिवेदन के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित रैखिक विकास परियोजना (कंडिका-1 में वर्णित) के लिये अपयोजित होने वाली भूमि पर अवस्थित वृक्षरोपण दिनांक 13.12.2005 के पूर्व 75 वर्षों से कम अवधि में वन भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है और परियोजना क्षेत्र के गांवों में वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की अभिलिखित आबादी नहीं है।


जिला पदाधिकारी
गया।

OR

Certified that Forest land proposed to be diverted is a plantation which was notified as "forest" less than 75 years prior to the 13th day of December 2005 and is located in villages having no recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census-2001 and Census-2011.


District Magistrate
Gaya